न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
031/2026(खा.सु.) (GCMS 2026/31)	**2502.2026**	**12.03.2026**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

किशनलाल जाट पुत्र रामलाल जाट
मैसर्स राधिका आईसक्रीम
सिरोडी रोड, ग्राम मान्दलदा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र हेतु अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम शर्मा ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर अगवत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 04.05.2025 को समय 11.00 ए.एम. पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत मैसर्स मैसर्स राधिका आईसक्रीम सिरोडी रोड, ग्राम मान्दलदा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) का निरीक्षण करने पर उक्त फर्म के अप्रार्थी उक्त फर्म में विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ खोहा, कुल्फी एवं आईसक्रीम, केन्डी आदि खाद्य पदार्थ आम जनता को विक्रय करना एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखना पाया गया।

मौके पर अप्रार्थी से खाद्य लाईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जो विक्रेता ने मौके पर दिखाया। मौके पर गवाहान मनीष शर्मा की उपस्थिति में आवेदक द्वारा अपना परिचय–पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म पर **Frozen Desert (Kaju Dakh),** आईसक्रीम, केन्डी आदि खाद्य पदार्थ एवं फ्रिज में विक्रय हेतु रखा पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना फार्म नंबर **V-A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को दी गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त **Frozen Desert (Kaju Dakh)** के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रावधित प्रक्रिया अनुसार नूमने तैयार किये गयें। तैयार नमूने प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा)

व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-2252** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर उपर से लेकर नीचें पेंदे तक गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 सील चपडी लगाई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अध्यधीन कार्यवाही की जाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में नमूना वाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर को जमा करवाकर अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

शेष तीन नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की तीन प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/2862 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट नम्बर एल.एस. 339/एक्ट/2025/339 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **Sub Standard** होना पाया गया।

आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक एफएसएसए/2025/2862 दिनांक 30.05.2025 की पालना में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07.01.2026 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तों ने **Sub Standard Frozen Desert (Kaju Dakh)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लधन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्यायनिर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई

जो कि शामिल पत्रावली है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली हैं।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 12.03.2026 को अप्रार्थी हाजिर आये एवं प्रकरण में किसी भी प्रकार से लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक तौर पर स्वीकार किया एवं प्रथम अपराध होने से प्रकरण में माफ किये जाने का निवेदन किया। इस पर हमने हाजिर अप्रार्थी को सुना। हमने पत्रावली को आद्योपांत अवलोकन किया, तथ्यों का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत हैं जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 व 2 से होती हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ **Frozen Desert (Kaju Dakh)** का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 04.05.2025 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 04.05.2025 से जाहिर होता हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ **Frozen Desert (Kaju Dakh)** जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-2252** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 28 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक मुरलीधर कुमावत के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-2252** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 8 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 7 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक मुरलीधर कुमावत द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 05.05.2025 को जमा कराया गया। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह तथ्य

प्रमाणित कराया गया है कि आवेदक द्वारा दिनांक 04.05.2025 को मौके पर की गई समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के अध्यधीन की गई है।

हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 14 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2025/2862 दिनांक 30.05.2025 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 339/ACT/2025/339 Dated 15-05-2025** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई हैं, उक्त पत्र रिकार्ड पर हैं। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 339/ACT/2025/339 Dated 15-05-2025** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया।

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष शर्मा द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 28 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 06.05.2025 से 15.05.2025 तक को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample to be Dairy products and analogues falling under Regulation No. 2.1.15(2)(i) Ice Cream of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. Dahi(Loose) Bearing code no. and serial no. AM-2252 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh is Sub-Standard food. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-2252** खाद्य पदार्थ **Frozen Desert (Kaju Dakh)** सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत **Sub-Standard** स्तर का पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2025/2862 दिनांक 30.05.2025 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया।

प्रकरणर में लिये गये नमूने की जांच रिपोर्ट एवं अनुसंधान के आधार पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/ 2026/943 दिनांक 20.02.2026 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 14 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है।

इस पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर अप्रार्थीगण का अपराध संदेह से परे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा साबित कराया गया है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है एवं उपरांकित विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक है। जिसे आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी किशनलाल जाट पुत्र रामलाल जाट मैसर्स राधिका आईसक्रीम सिरोडी रोड, ग्राम मान्दलदा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.

Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, जिससे विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं, अतः को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त किशनलाल जाट पुत्र रामलाल जाट मैसर्स राधिका आईसक्रीम सिरोडी रोड, ग्राम मान्दलदा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को रूपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 12.03.20226 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़